कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन परिक्षेत्र, वाराणसी

पत्र संख्या : एस.टी./एफ.एस./आई 3/ (स्कूल/सी.बी) 2024 दिनांक 21.02.2024

सेवा मे,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
उ0प्रा0 पाठशाला, मकदूमपुर (जोहरी)
जलालपुर, खेराकत,
जौनपुर।

विषय : जनपद के स्कूल/कालेजों मे जनहित के दृष्टिकोण से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निरीक्षक कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक..... ..... का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विद्यालय भवन उ0प्रा0 पाठशाला मकदूमपुर (जोहरी) जलालपुर खेराकत जौनपुर..... का निरीक्षण अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन अधिकारी जौनपुर श्री [illegible] द्वारा करवाया गया तो विद्यालय भवन भूतल+— मे संचालित है तथा विद्यालय भवन में अग्निशमन उपकरण/सिस्टम कार्यशील दशा में उपलब्ध पाया गया।

भवन की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना अग्निशमवन विभाग को देने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी। विद्यालय भवन में किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण तथा बेसमेन्ट में शैक्षणिक कार्य नहीं किया जयेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम को अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमा कर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष या अग्निशमन व्यवस्था क्रियाशील रहने तक या दोनों में से जो पहले समाप्त हो तक के लिए मान्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी। अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।

21.2.24

(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन परिक्षेत्र
वाराणसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1 बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जौनपुर।
2. अग्निशमन अधिकारी, जनपद जौनपुर।